संख्याः 564 /XVIII(II)/2010–1(6)/2010

प्रेषक,

एस0के0मुट्टू,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 28 जुलाई,2010

विषयः–ग्राम रायवाला, तहसील ऋषिकेश जिला देहरादून में मै0 एरियल वेन्चर्स प्रा0 लि0, मुम्बई को मिनिरल वाटर के उत्पादन हेतु कुल 1564 वर्ग मीटर भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या–989/12–ए0–96 (2008–11) /डी0एल0आर0सी0, दिनांक–23.2.2010 के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, ग्राम रायवाला, तहसील ऋषिकेश जिला देहरादून में मै0 एरियल वेन्चर्स प्रा0 लि0, मुम्बई को मिनिरल वाटर के उत्पादन हेतु कुल 1564 वर्ग मीटर भूमि क्रय की अनुमति, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15–1–2004 की धारा–154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत, आपके द्वारा की गयी संस्तुति एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दी गयी अनापत्ति/सहमति के दृष्टिगत, आपके द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खसरा संख्याओं के अधीन निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैंः–

1– क्रेता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (मिनिरल वाटर का उत्पादन) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी

.....2

अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगा।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7– क्रय की जाने वाली भूमि का भू उपयोग यदि औद्योगिक से भिन्न हो तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर जी0आई0डी0सी0आर0–2005 में दिये गये नियमों एवं निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तो के अन्तर्गत, प्रचलित, नियमों/मानको एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत, नियमानुसार कार्यवाही करते हुए, औद्योगिक प्रयोजन हेतु, फैक्ट्री भवन निर्माण का प्लान सीडा/सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही स्थल पर निर्माण कार्य किया जायेगा।

8– ईकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग केवल थ्रस्ट सेक्टर ईकाई के लिए ही किया जायेगा।

9– सम्बन्धित ईकाई द्वारा स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

10– ईकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग मिनिरल वाटर विनिर्माणक उद्योग की स्थापना के लिए ही किया जायेगा।

11– ईकाई द्वारा दूनघाटी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के नियमों/शर्तो का पालन किया जायेगा।

12– प्रस्तावित स्थल पर, अवस्थापना विकास से सम्बन्धित कार्यो का दायित्व सम्बन्धित ईकाई का होगा। प्रश्नगत अनापत्ति/सहमति, पैकेज के अन्तर्गत, देय सुविधाओं के लिए आधार के रूप में उद्धत नही की जायेगी।

13– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।

14– किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एंव सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो, इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

15– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एंव ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

16– योजना प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/ संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियॉ/स्वीकृतियॉ प्राप्त कर ली जायेगी।

.....3

17– उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तो का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन हाने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तद्नुसार कार्यवाही करते हुए, शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले ओदश की प्रति, अनिवार्य रूप से शासन को यथाशीध्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0के0मुट्टू)
अपर मुख्य सचिव।

पृ0प0सं0–504 /समदिनांकित/2010

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन ।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4– निदेशक, उद्योग विभाग औद्योगिक क्षेत्र, पटेल नगर देहरादून।
5– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीडा, 2–न्यू कैन्ट रोड, सिडकुल, देहरादून।
6– डा0 श्री केशव नन्दी, अधिकृत हस्ताक्षरी,सी0/501,अभिजीत अपार्टमेन्ट्स, श्री साईनाथ कॉपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, आनन्द नगर, सांताकुज, मुम्बई।
7– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
8– प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।